कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-311/2023 दिनांक-26.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना महराजगंज

सरदहा बाजार में पिता- पुत्र की हत्या करने वाले 02 शूटर (25-25 हजार रूपयें के इनामिया) गिरफ्तार; अवैध असलहा-कारतूस बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक- 20.09.2023 को थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत सरदहा बाजार में घटित घटना में वादी मो0 आरिफ पुत्र स्व0 अब्दुल राशिद निवासी सरदहा बाजार थाना महराजगंज आजमगढ़ से तहरीर लेकर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 296/23 धारा- 147 / 148 / 149 / 302/ 427 / 436 / 504 / 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम 1- पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता उम्र 23 वर्ष, 2- पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता उम्र 25 वर्ष, 3-प्रदीप गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता उम्र 22 वर्ष, 4- दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, 5- निर्मला पत्नी दिनेश गुप्ता उम्र 48 वर्ष निवासीगण-सरदहां बाजार मेउडिया, थाना- महाराजगंज, आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना महराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ एसपी सिटी के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 04 टीमों का गठन किया गया। जिसके क्रम में .....

➡दिनांक 21.09.2023 को घटना के नामजद अभियुक्तो 1. दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान साव निवासी सरदहा बाजार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. निर्मला देवी पत्नी दिनेश गुप्ता निवासिनी सरदहा बाजार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

➡दिनांक 21.09.2023 को अभियुक्त पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता द्वारा मंदिर की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को राजस्व विभाग की उपस्थिति में खाली कराया गया।

➡दिनांक 21.09.2023 को देवनपुर पेट्रोल पम्प से 02 अभियुक्तो 1. प्रदीप गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता निवासी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष 2. पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता निवासी सरदहां थाना महराजगंज जनपद आजमगढ उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था।

➡दिनांक 23.09.23 को अभियुक्त पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता निवासी सरदहां मेउड़िया थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष को चपरी पुलिया से पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार किया गया था।

➡ विवेचना के दौरान अभियुक्तो **1.शनि कुमार पुत्र अनिल कुमार सा0 भीलमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. साहिल उर्फ देवव्रत पुत्र शिव कुमार सा0 चौकन्ना पुरूषोत्तमपुर थाना महराजगंज जनपद** आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25-25 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.09.23 को प्र0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त **1.** शनि कुमार पुत्र अनिल कुमार सा0 भीलमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़, **2.** साहिल उर्फ देवव्रत पुत्र शिव कुमार सा0 चौकन्ना पुरूषोत्तमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ जो घटना कारित कर दिल्ली भाग गये थे, वापस आकर खानपुर कटया से अपने घर जमालपुर की तरफ जा रहें हैं, इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक महराजगंज मय हमराह खानपुर कटया मोड़ पर पहुचें कि खानपुर कटया पर खड़े 02 व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखकर तेजी से मुड़कर भागे जिन्हे पुलिस द्वारा दौड़कर पकड़ लिया गया। अभियुक्तो ने अपना नाम 1.शनि कुमार पुत्र अनिल कुमार सा0 भीलमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष 2. साहिल उर्फ देवव्रत पुत्र शिव कुमार सा0 चौकन्ना पुरूषोत्तमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष बताया। अभियुक्त शनि कुमार के कब्जे से 01 देशी तमंचा 32 बोर तथा से 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त साहिल उर्फ देवव्रत के कब्जे से कुल 640 रुपये बरामद हुआ। अभियुक्तो को समय करीब 23.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शनी कुमार के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 307/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तो *ने बताया कि* ***शनि कुमार*** *पहले पवन गुप्ता की दुकान पर काम करता था। घटना वाले दिन* सुबह पवन गुप्ता अपने भाई प्रदीप के साथ शनि के पास आया औऱ कहा कि दुकान पर कुछ काम है अपने दोस्त साहिल को भी बुला लो। पवन गुप्ता ने हम लोगो को असलहा दिया और हम सभी लोग रशीद की दुकान पर पहुचे जहां रशीद व उसके लड़के शोएब को हम लोगो ने दिनेश गुप्ता व निर्मला गुप्ता के ललकारने पर गोली मारी, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा हमने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा व मॉनिटर तोड़ दिये तथा पवन ने दुकान मे रखे कपड़ों को लाईटर से आग लगायी फिर हम लोग तमंचा लहराते व लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए पवन गुप्ता की दुकान पर आये। पवन ने साहिल से तमंचा मांग लिया तथा शनि ने तमंचा नही दिया था फिर हम लोग दिल्ली भाग गये थे।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 307/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़। (विरुद्ध शनि कुमार)

आपराधिक इतिहास- शनि कुमार पुत्र अनिल कुमार उपरोक्त

1**.** मु0अ0सं0 296/2023 धारा 147/148/149/302/427/436/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना महराजगंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 307/23 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभियुक्त साहिल उर्फ देवव्रत पुत्र शिव कुमार उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 296/2023 धारा 147/148/149/302/427/436/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना महराजगंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

2. 1. शनि कुमार पुत्र अनिल कुमार सा0 भीलमपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
3. 2. साहिल उर्फ देवव्रत पुत्र शिव कुमार सा0 चौकन्ना पुरूषोत्तमपुर थाना महराजगंज आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 32 बोर व 02 जिंदा कारतूस 32 बोर व 640 रुपये मात्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मय हमराह थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 श्रीप्रकाश शुक्ला एसओजी मय टीम आजमगढ़
4. मुख्य आरक्षी सर्विलांस उमेश यादव सर्विलांस सेल आजमगढ़